Rule 37: Reversal of input tax credit in the case of non-payment of consideration

¹[(1) A registered person, who has availed of input tax credit on any inward supply of goods or services or both, other than the supplies on which tax is payable on reverse charge basis, but fails to pay to the supplier thereof, the amount towards the value of such supply ²[, whether wholly or partly,] along with the tax payable thereon, within the time limit specified in the second proviso to sub-section(2) of section 16, shall pay ³[or reverse] an amount equal to the input tax credit availed in respect of such supply ⁴[, proportionate to the amount not paid to the supplier,] along with interest payable thereon under section 50, while furnishing the return in FORM GSTR-3B for the tax period immediately following the period of one hundred and eighty days from the date of the issue of the invoice:

"(1) A registered person, who has availed of input tax credit on any inward supply of goods or services or both, but fails to pay to the supplier thereof, the value of such supply along with the tax payable thereon, within the time limit specified in the second proviso to sub-section (2) of section 16, shall furnish the details of such supply, the amount of value not paid and the amount of input tax credit availed of proportionate to such amount not paid to the supplier in FORM GSTR-2 for the month immediately following the period of one hundred and eighty days from the date of the issue of the invoice:

Provided that the value of supplies made without consideration as specified in Schedule I of the said Act shall be deemed to have been paid for the purposes of the second proviso to sub-section (2) of section 16.

^A[**Provided further** that the value of supplies on account of any amount added in accordance with the provisions of clause (b) of sub-section (2) of section 15 shall be deemed to have been paid for the purposes of the second proviso to sub-section (2) of section 16.]

- **A.** Inserted vide Noti. No. 26/2018 Central Tax, dt. 13-06-2018.
- (2) The amount of input tax credit referred to in sub-rule (1) shall be added to the output tax liability of the registered person for the month in which the details are furnished."
- 2 Inserted vide Noti. No. 26/2022–Central Tax dated 26-12-2022 w.e.f. 01-10-2022.
- 3 Inserted vide Noti. No. 26/2022 Central Tax dated 26-12-2022 w.e.f. 01-10-2022.
- 4 Inserted by Noti. No. 26/2022–Central Tax, dt. 26-12-2022 w.e.f. 01-10-2022.

¹ Substituted by Noti. No. 19/2022—Central Tax, dt. 28-09-2022 w.e.f. 01-10-2022. Earlier to substitution it read as under:

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

Provided that the value of supplies made without consideration as specified in Schedule I of the said Act shall be deemed to have been paid for the purposes of the second proviso to sub-section (2) of section 16:

Provided further that the value of supplies on account of any amount added in accordance with the provisions of clause (b) of sub-section (2) of section 15 shall be deemed to have been paid for the purposes of the second proviso to sub-section (2) of section 16.;

- (2) Where the said registered person subsequently makes the payment of the amount towards the value of such supply along with tax payable thereon to the supplier thereof, he shall be entitled to re-avail the input tax credit referred to in sub-rule (1).]
- (3) ⁵[****].
- (4) The time limit specified in sub-section (4) of section 16 shall not apply to a claim for re-availing of any credit, in accordance with the provisions of the Act or the provisions of this Chapter, that had been reversed earlier.

⁵ Omitted sub-rule (3) by Noti. No. 19/2022-Central Tax, dt. 28-09-2022 w.e.f. 01-10-2022.

[&]quot;(3) The registered person shall be liable to pay interest at the rate notified under sub-section (1) of section 50 for the period starting from the date of availing credit on such supplies till the date when the amount added to the output tax liability, as mentioned in sub-rule (2), is paid."

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

नियम 37 : प्रतिफल के असंदाय की दशा में इनपुट कर प्रत्यय की वापसी

¹[(1) कोई पंजीकृत व्यक्ति, जो माल या सेवा या दोनों की किसी आवक प्रदाय पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करता है, उन आपूर्तियों के अलावा जिन पर कर रिवर्स चार्ज के आधार पर देय है, लेकिन उसके आपूर्तिकर्ता को धारा 16 की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक में विनिर्दिष्ट समय—सीमा के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है ²[चाहे पूर्ण रूप से या भागतः], तो वह उस पर संदेय कर सिहत बीजक के जारी किए जाने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के ठीक पश्चात् वाली कर अवधि में, ऐसी आपूर्ति ³[, प्रदायकर्ता को भुगतान न की गई रकम के अनुपात में] के संबंध में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान ⁴[या उत्क्रम] धारा 50 के तहत् उस पर देय ब्याज के साथ प्ररूप जीएसटीआर—3(ख) में करेगा;

परंतु उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिफल के बिना की गई प्रदाय का मूल्य, धारा 16 की उपधारा 1 के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए संदत्त किया गया समझा जाएगा;

परंतु यह और कि धारा 15 की उपधारा 2 के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसार जोड़ी गई किसी रकम के मुद्दे प्रदायों के मूल्य को धारा 16 की उपधारा 2 के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए संदत्त किया गया समझा जाएगा।

परन्तु उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिफल के बिना की गई प्रदाय का मूल्य, धारा 16 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए संदत्त किया गया समझा जाएगा।

^[परन्तु यह और कि धारा 15 की उपधारा (2) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसार जोड़ी गई किसी रकम के मद्दे प्रदायों के मूल्य को धारा 16 की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए संदत्त किया गया समझा जाएगा।]

A. अधिसूचना क्रमांक 26/2018—केन्द्रीय कर, दिनांक 13.06.2018 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित।

¹ अधिसूचना क्रमांक 19 / 2022—केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2022)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार थाः

[&]quot;(1) कोई रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो माल या सेवा या दोनों की किसी आवक प्रदाय पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करता है, किन्तु धारा 16 की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक में विनिर्दिष्ट समय—सीमा के भीतर उस पर संदेय कर सिहत ऐसी प्रदाय के मूल्य का उसके प्रदायकर्ता को संदाय करने में असफल होता है, बीजक के जारी किए जाने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के ठीक पश्चात् वाले मास के लिए, ऐसी प्रदाय, संदत्त नहीं किए गए मूल्य की रकम प्रदायकर्ता को संदत्त नहीं की गई ऐसे रकम के अनुपात में उपभोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम के ब्यौरे प्रस्तप जीएसटीआर—2 में देगा:

⁽²⁾ उपनियम (1) में निर्दिष्ट इनपुट कर प्रत्यय की रकम को उस मास के लिए, जिसमें ब्यौरे दिए गए हैं, रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति के आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा।"

² अधिसूचना क्रमांक 26/2022—केन्द्रीयकर, दिनांक 26.12.2022 द्वारा अंतः स्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2022)

³ अधिसूचना क्रमांक 26/2022-कंन्द्रीयकर, दिनांक 26.12.2022 द्वारा अंतः स्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2022)

⁴ अधिसूचना क्रमांक 26/2022—केन्द्रीयकर, दिनांक 26.12.2022 द्वारा अंतः स्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2022)

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

- (2) जहां उक्त पंजीकृत व्यक्ति बाद में इस तरह की आपूर्ति के मूल्य की राशि का भुगतान उसके आपूर्तिकर्ता को देयकर के साथ करता है, वह उपनियम 1 में निर्दिष्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट का पुनः लाभ उठाने का हकदार होगा।
- (3) ⁵[.....]
- (4) धारा 16 की उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट समय—सीमा अधिनियम के उपबंधों या इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार किसी ऐसे प्रत्यय का पुनः उपभोग करने के लिए लागू नहीं होगी, जिसे पूर्व में वापस कर दिया गया था।

5 अधिसूचना क्रमांक 19/2022—केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा उप—नियम (3) विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2022)। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार थाः

[&]quot;(3) रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी प्रदाययों पर प्रत्यय का उपभोग करने की तारीख से आरंभ होने वाली अवधि से उपनियम (2) में यथा उल्लिखित आउटपुट कर दायित्व में जोड़ी गई रकम के संदाय करने की तारीख तक धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित दर से ब्याज कर संदाय करने का दायी होगा।"